भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4202
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संस्तुत किया जाना

4202. श्री मुरारी लाल मीना :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा पुनः संस्तुत किए गए नाम अभी भी लंबित हैं ;

(ख) ऐसे मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं और यह विलंब किस स्तर पर हो रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कॉलेजियम द्वारा पुनः संस्तुत किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्तूबर 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला) की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6 अक्तूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकार्ड बनाम भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामला) में दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि न्यायिक चयन के लिए योग्यता के आधार पर चयन प्रमुख तरीका है और चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों में उच्च निष्ठा, ईमानदारी, कौशल, उच्च कोटि की भावनात्मक स्थिरता, दृढ़ता, शांति, विधिक सुदृढ़ता, योग्यता और सहनशीलता होनी चाहिए।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार इस सहयोगात्मक प्रक्रिया के आधार पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी राय रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीश के प्रतिष्ठित पद पर सबसे उपयुक्त और प्रतिभाशाली उम्मीदवार की नियुक्ति की जाए। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हों।

17.12.2024 तक, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की पद संख्या 50 के प्रति कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 32 है।

****